Government of National Capital Territory of Delhi have reported that as per standing instructions, an average of 50 to 55 undertrials are transpórted in one jail van and there is no congestion or suffocation.

Defective bullet proof jackets procured for Delhi Policemen

7772. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the bullet proof jackets procured for Delhi Policemen engaged in VVIP security have been found to be defective;

(b) if so, the firms from which the said jackets have been procured.

(c) whether the trials of the jackets were not taken into account before entering into contracts with the firm;

(d) if so, who is responsible for this lapse; and

(e) what measures now Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.M. SAYEED): (a) to (e) Government of NCT of Delhi has reported that on the basis of tests carried out, bullet proof jackets of two varieties were procured from M/s. Progressive Technologies of America through the State Trading Corporation. After the supply was received, the jackets were again subjected to test during which one type of jacket was not found upto the mark. The matter has already been taken up by the Delhi Police with the State Trading Corporation of India for its return.

चकमा शरणार्थियों के राशन में कटौती

7773. **श्री राम जेठमलानी:**
प्रो॰ विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 अप्रैल, 1994 के दैनिक टेलीग्राफ में "चकमाज़ एलेज़ राशन कट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चकमा संगठन के अध्यक्ष द्वारा लगाया गया यह आरोप सच है कि चकमा शरणार्थियों को जबरदस्ती बंग्लादेश भेजा जा रहा है और उनको दिए जा रहे राशन की मात्रा में कमी की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इस आरोप के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा प्रत्येक चकमा शरणार्थी को अब तक क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰एम॰ सईद): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान् शरणार्थी नेताओं ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि वापस जाने का उनका फैसला स्वयं उनका फैसला है और इसके लिए उन पर किसी का दबाव नहीं है। त्रिपुरा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार उनको राशन की मदों की आपूर्ति की जा रही है तथा किसी मद की कमी हो जाने की स्थिति में राज्य सरकार के प्राधिकारी उस मद के एवज़ में नकद भुगतान करने की व्यवस्था करते हैं।

(घ) सुविधाओं में अस्थाई आवास, वस्त्र, जल-आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाएं, जेब खर्चा भत्ता, राशन का सामान, सुरक्षा, चादर, इत्यादि देना शामिल है।

जम्मू और कश्मीर राज्य में सरकारी निधियों का दुरुपयोग

7774. **श्री राम जेठमलानी:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 मई, 1994 के दैनिक "टाइम्स आफ इंडिया" में "फन्ड्स सिफोन्ड आफ